



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (क)  
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 8 सितम्बर, 2021  
भाद्रपद 17, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1

संख्या 01/2021/182/80-1-2021-9-2020  
लखनऊ, 8 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०-71

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 26-भ के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, लखनऊ, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियमावली (संशोधन) 1984 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान)  
(दसवाँ संशोधन) विनियमावली, 2021

1-(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) (दसवाँ संशोधन) विनियमावली, 2021 कही जाएगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (अधिकारी और कर्मचारी अधिष्ठान) विनियम 9 (क) विनियमावली, 1984, में विनियम 9 के पश्चात निम्नलिखित विनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:- का बढ़ाया जाना

9(क) मण्डी परिषद के अधिकारियों द्वारा धारित समूह 'क' के समस्त पदों के समूह 'क' के सेवा संबंधी मामलों में पदच्युति किये जाने, सेवा से हटाये जाने, रैंक में अवनति किये जाने या वेतनमान में कटौती किये जाने तथा संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोके जाने संबंधी दण्ड के सिवाय अन्य समस्त विनिश्चय करने संबंधी प्राधिकार मंडी निदेशक में प्रत्यायोजित होंगे। पदों के सेवा संबंधी मामलों में विनिश्चय

आज्ञा से,  
डा० देवेश चतुर्वेदी,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 01/2021/182/LXXX-1-2021-09-2020, dated September 8, 2021 :

No. 01/2021/182/LXXX-1-2021-09-2020

*Dated Lucknow, September 8, 2021*

IN exercise of the powers under section 26-x of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964), the State Agricultural Produce Markets Board, Lucknow with the previous approval of the State Government, makes the following regulations with a view to amend the Uttar Pradesh Agricultural Produce Markets Board (Officers and Staff Establishment) Regulations, 1984.

THE UTTAR PRADESH AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS BOARD  
(OFFICERS AND STAFF ESTABLISHMENT) (TENTH AMENDMENT)  
REGULATIONS, 2021

- |  |  |
|--|--|
| 1. (1) These regulations may be called The Uttar Pradesh Agricultural Produce Markets Board (Officers and Staff Establishment) (Tenth Amendment) Regulations, 2021.  | Short title and commencement                   |
| (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in <i>Gazette</i> .  |  |
| 2. In the Uttar Pradesh Agricultural Produce Markets Board (Officers and Staff Establishment) Regulations, 1984 after regulation 9, the following regulation shall be <i>inserted</i> , namely :-  | Insertion of regulation 9A                     |
| 9A Except the punishments of dismissal, removal, reduction in rank or in pay scales and withholding of increments with cumulative effect, the authority for taking all other decisions on service matters of all posts in Group 'A' held by Officers of Mandi Parishad, shall be delegated to the Director of mandies. | Decision on service matters of Group 'A' posts |

By order,  
DR. DEVESH CHATURVEDI,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 307 राजपत्र-2021-(656)-599+50=649 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।